न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Spl. (SC/ST) Case No.223/2018

मो0 नासीर उर्फ मो0 नासीर गनी
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री विष्णुकांत मिश्र, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विषेष लोक अभियोजक।

23.09.2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक मो0 नासीर उर्फ मो0 नासीर गनी की ओर से Spl. Case No. 223/2018 U/S-341, 323, 354(B), 379, 504, 506/34 I.P.C. & 3(i)(r) of the SC/ST Act के संदर्भ में दाखिल किया गया है। आवेदक दिनांक–21.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक जमानत पर था तथा आवेदक के पैरवीकार मुंशी के गलती के कारण न्यायालय में समय से पैरवी नहीं हो सकी जिसके कारण उसका बंधपत्र खंडित हो गया। आवेदक एक अंडरटेकिंग इस आशय का देगा कि वह प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गयी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदक को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि –

1–आवेदक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया